

नियमित टीकाकरण कार्यक्रम

टीकों से बचाई जा सकने वाली बीमारियों के प्रति पूर्ण टीकाकरण प्रत्येक बच्चे का अधिकार है। प्रत्येक बच्चे के इस अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए राज्य में नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत दस प्रकार के टीके; टी.डी., बीसीजी, हैपेटाईटिस-बी, ओरल पोलियो वैक्सीन (ओ.पी.वी.), इनेकिटवेटेड पोलियो वैक्सीन (आईपीवी), पेन्टावेलेन्ट, न्यूमोकोकल कान्जूगेटेड वैक्सीन (पी.सी.वी.), रोटा वायरस वैक्सीन (आर.वी.वी.), मीजल्स-रुबेला (MR) एवं डी.पी.टी. सभी राजकीय चिकित्सा संस्थानों एवं राज्य के सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों पर मातृ स्वास्थ्य शिशु एवं पोषाहार दिवस के दौरान टीकाकरण सत्र का आयोजन कर निःशुल्क प्रदान किये जाते हैं, जो कि उन्हें टीकाकरण से रोकी जा सकने वाली गंभीर एवं जानलेवा बीमारियों से बचाते हैं। शिशुओं में यह टीकाकरण मां के गर्भ से ही सर्वप्रथम टी.डी. का टीका लगाकर प्रारम्भ किया जाता है।

नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत दिये जाने वाले टीकों एवं उनसे रोकी जा सकने वाली बीमारियों का विवरण निम्न प्रकार है:

टीके का नाम	टीके से रोकी जा सकने वाली बीमारियों के नाम
टेटनेस टॉकसाइड एवं एडल्ट डिष्ट्रीरिया (Td)	माताओं एवं नवजात शिशुओं में धनुषबाय /टेटनेस
बीसीजी	गंभीर किस्म की टी.बी. जैसे दिमागी टी.बी. और हड्डियों की टी.बी.
हैपेटाईटिस-बी (जन्म खुराक)	संक्रमित मां से प्रसव पश्चात् नवजात शिशु में हैपेटाईटिस-बी के संक्रमण को पहुंचने से रोकना
ओरल पोलियो वैक्सीन (ओ.पी.वी.) एवं इनेकिटवेटेड पोलियो वैक्सीन (आईपीवी)	पोलियो रोग से
पेन्टावेलेन्ट वैक्सीन	डिष्ट्रीरिया /कूकर खांसी/टेटनेस/हैपेटाईटिस-बी/ हिब से होने वाले न्यूमोनिया एवं मैनेजाइटिस आदि
न्यूमोकोकल कान्जूगेटेड वैक्सीन (पी.सी.वी.)	न्यूमोकोकस से होने वाले न्यूमोनिया /मैनेजाइटिस/कान का संक्रमण आदि
रोटा वायरस वैक्सीन (आर.वी.वी.)	रोटा वायरस के कारण होने वाले गंभीर किस्म के दस्त रोग
मीजल्स-रुबेला (MR)	खसरा एवं गर्भवती महिलाओं में रुबेला रोग के कारण बच्चों में होने वाली गंभीर जटिलताओं से
डी.पी.टी.	डिष्ट्रीरिया /कूकर खांसी/टेटनेस

उपरोक्त टीकों के अलावा विटामिन 'ए' की कुल 9 रोग प्रतिरोधक खुराकें 6 माह के अन्तराल पर दी जाती है जिसमें से प्रथम खुराक 9–12 माह पर द्वितीय खुराक 16–24 माह पर मीजल्स-रुबेला (MR) के टीकों के साथ दी जाती है। इसके पश्चात प्रत्येक 6 माह के अन्तराल पर 5 वर्ष की आयु तक इसकी शेष खुराकें अभियान के दौरान आंगनबाड़ी केन्द्रों पर दी जाती हैं।

सघन मिशन इन्द्रधनुष 2.0

मिशन इन्द्रधनुष भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसके अन्तर्गत नियमित टीकाकरण से वंचित रह गये बच्चों एवं गर्भवती माताओं को टीकाकरण की सेवाएँ प्रदान की जाती है, प्रदेश में मिशन इन्द्रधनुष अभियान का प्रारम्भ वर्ष 2015 में किया गया था, उसके पश्चात अलग-अलग अवधि में इसके 6 चरण सफलतापूर्वक सम्पन्न किये जा चुके हैं। अभियान के अगले चरण में सघन मिशन इन्द्रधनुष 2.0 प्रारम्भ किया जा रहा है।

सघन मिशन इन्द्रधनुष 2.0 के मुख्य उद्देश्य निम्न प्रकार हैं:

- नियमित टीकाकरण में छूटे हुए गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों (लेफ्ट आउट, ड्रॉप आउट व टीकाकरण का प्रतिरोध करने वाले परिवार) का सघन मिशन इन्द्रधनुष (2.0) में टीकाकरण करते हुए बच्चों में पूर्ण टीकाकरण का 90 प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त करना है।
- नियमित टीकाकरण कार्यक्रम को सुदृढ़ करना।
- कमजोर एवं वंचित टीकाकरण क्षेत्रों में सघन मिशन इन्द्रधनुष के द्वारा टीकाकरण प्रगति दर में सुधार लाना है।
- नियमित टीकाकरण के लिए समुदाय में टीकाकरण मांग को बढ़ाना तथा वैक्सीन के प्रति विश्वास जगाना।

सघन मिशन इन्द्रधनुष 2.0 अभियान की विशेषताएँ:

- भारत सरकार के निर्देशानुसार सघन मिशन इन्द्रधनुष अभियान 2.0 राजस्थान राज्य के सभी जिलों में चलाया जायेगा।
- ऐसे क्षेत्र/गांव/दाणियों/ शहरी क्षेत्रों की पहचान करके उन जगहों पर विशेष टीकाकरण सत्रों का आयोजन किया जायेगा, जहां टीकाकर्मी की नियमित टीकाकरण हेतु पहुंच नहीं है तथा पूर्ण टीकाकरण से वंचित लाभार्थियों की संख्या अधिक है।
- सघन मिशन इन्द्रधनुष अभियान 2.0 4 चरणों में आयोजित किया जायेगा।
- प्रत्येक चरण हेतु 7 कार्य दिवस होंगे जिसमें राजपत्रित अवकाश, रविवार, नियमित टीकाकरण के दिन शामिल नहीं होंगे।
- यदि ज्यादा सत्रों का आयोजन किया जाना है तो 7 कार्य दिवस से अधिक तक अभियान का संचालन किया जा सकता है।
- अभियान के चारों चरण निम्नानुसार प्रारम्भ किये जायेंगे:

प्रथम चरण	02 दिसम्बर 2019
द्वितीय चरण	06 जनवरी, 2020
तृतीय चरण	03 फरवरी, 2020
चतुर्थ चरण	02 मार्च, 2020

- अभियान की सफलता हेतु इसकी जानकारी प्रत्येक लाभार्थी तक पहुंचना आवश्यक है। ऐसी गतिविधियों का चयन किया जावे जिनके माध्यम से टीकाकरण का संदेश लाभार्थी तक पहुंच सके, वे टीकाकरण हेतु प्रेरित हो सके एवं उन्हें सत्र स्थल, दिनांक, समय, आदि की जानकारी हो।
- सत्र का समय प्रातः 9.00 बजे से सांय 4.00 बजे तक रहेगा।

शिक्षा विभाग से अपेक्षित सहयोग

- क्षेत्र में आयोजित होने वाली **बाल सभाओं** में सघन मिशन इन्ड्रधनुष के बारे में जानकारी देते हुए टीकाकरण के महत्व पर चर्चा करते हुए समुदाय को टीकाकरण के लिए प्रेरित करना
- अभियान से एक सप्ताह पूर्व स्कूल प्रार्थना सभाओं के माध्यम से सघन मिशन इन्ड्रधनुष के संबंध में जागरुकता फैलाना
- स्कूलों द्वारा अभियान के समर्थन में रैली या अन्य माध्यम से समुदाय में टीकाकरण अभियान की जानकारी का प्रचार-प्रसार करना